**स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था समिति**

**समिति का गठन**

(1) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति होगी, जिसमें स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, स्थानीय निकायों में अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, नगरपालिकाएं, सुधार न्यास तथा नगर निगम शामिल होंगे और पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत समितियां तथा जिला परिषद शामिल होंगे।

(2) समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

**समिति के कार्य:-**

समिति के कार्य होंगे-

(क) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्टों और लेखाओं की जांच करना जैसा कि समिति द्वारा चयनित किया जा सकता है;

(ख) सदन के पटल पर रखी गई परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा की रिपोर्टों, यदि कोई है, की जांच करना;

(ग) स्वायत्तता के संदर्भ में जांच करना कि क्या स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं के मामलों को कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है; तथा

(घ) किसी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था के कामकाज के किसी अन्य पहलू की जांच करना, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा इसे संदर्भित किया जा सकता है:

बशर्ते कि समिति निम्नलिखित में से किसी की जांच और छान-बीन नहीं करेगी, अर्थात्:-

1. स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से अलग प्रमुख सरकारी नीति के मामले;
2. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित मामले; तथा
3. यह विचार करने के लिए कि कौन सी मशीनरी किसी विशेष क़ानून द्वारा स्थापित की जाती है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान स्थापित किए जाते हैं।